

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री मंदीप केबिल्स प्रा0 लि0, ए-22, सेक्टर-80, फेस-2, नोएडा ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 235 / 08, 09.05. 008
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मंदीप केबिल्स प्रा0 लि0, ए-22, सेक्टर-80, फेस-2, नोएडा द्वारा दिनांक 09.05.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “ Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies.....etc. ” पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 05.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा अपने धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा निर्मित Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies.....etc. का प्रयोग उद्योगों में इनपुट्स या रा मैटेरियल के रूप में किया जाता है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सन्दर्भित वस्तुएं HSN कोड नम्बर-85440000 के अन्तर्गत आच्छादित हैं । उनके द्वारा पूर्व में एक लिखित उत्तर भी दाखिल किया गया है जिसमें धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है और साथ ही HSN कोड की छाया प्रति भी दाखिल की गयी है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा द्वारा पत्र संख्या-710, दिनांक 03.07.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के वर्तमान क्रमांक-65 पर वर्गीकृत वस्तु Industrial cables (High voltage cables, XLPE Cables, jelly filled cables, optical fibres). के रूप में वर्गीकृत होना मानते हुए 4% की दर से करदेयता मानी गयी है । परन्तु उपरोक्त वर्गीकरण इण्डस्ट्रियल केबिल के सम्बन्ध में है जो बहुत ऊंचे वोल्टेज के करेन्ट के सम्वहन में प्रयोग किया जाता है । व्यापारी द्वारा उत्पादित सामान्य केबिल्स या इन्सुलेटेड वायर इस श्रेणी में नहीं आयेगा । अतः व्यापारी का प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से करयोग्य वस्तु है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-65 निम्न भाँति है :-

Industrial cables (High voltage cables, XLPE Cables, jelly filled cables, optical fibres).

इस प्रविष्टि के सन्दर्भ में विचार करते हुए सर्वश्री हैवेल्ल्स इण्डिया लि0, ए-461 / 462 & एस0 पी0-

सर्वश्री मंदीप केबिल्स प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-235 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2

215, MIA, अलवर, राजस्थान के उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-86 / 09 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2009 में इण्डस्ट्रियल केबिल के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या की गई है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के केबिल या वायर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-65 पर अंकित उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है। केवल विशेष प्रकार के इण्डस्ट्रियल केबिल ही उक्त प्रविष्टि से आच्छादित हैं। प्रार्थी द्वारा Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies.....etc. पर कर की दर जाननी चाही गयी है। इनमें से कोई भी वस्तु प्रविष्टि संख्या-65 पर अंकित इण्डस्ट्रियल केबिल की श्रेणी से आच्छादित नहीं है। इस प्रकार Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अतः उक्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-65 पर उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न वस्तुएं हैं। क्योंकि उक्त क्रमांक-65 पर अंकित केबिल सामान्य केबिल न होकर एक विशिष्ट प्रकार एवं गुण का केबिल है जिसका प्रयोग भी सामान्य रूप से नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा HSN कोड नम्बर-85440000 से सम्बन्धित जिस प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है उसमें सभी प्रकार के Insulated Wire, Cable, electric conductors सम्मिलित हैं। यह प्रविष्टि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-65 पर अंकित प्रविष्टि से पूर्णतः भिन्न है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुएं Insulated Wire, Cables, Mains Lead / Power Cord, Connector & Connector Assemblies.....etc. उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं। इसलिए उन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।